कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनॉक 26.06.2020

आदेश

(संख्या :– 246 /2020)

मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपने पत्रॉक मु0चि0अ0/कोविड–19/कोर्ट/2020/2590 दिनॉकित 25.06.2020 के द्वारा यह अवगत कराया गया था कि जनपद न्यायालय गाजियाबाद में बार एसोसिएशन के सदस्य श्री के0बी0सिंह, चैम्बर संख्या 473 निवासी गॉधीनगर गाजियाबाद तथा श्री प्रदीप सक्सैना चैम्बर संख्या 380 निवास स्थान न्यू शताब्दीपुरम गाजियाबाद कोरोना धनात्मक रोगी पाये गये है तथा उनके द्वारा सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिक्षेत्र कन्टेन्मेंन्ट जोन–2 में रखते हुए दिनॉक 24.06.2020 से आगामी 14 दिवस हेतु जनपद न्यायालय परिसर को सील करने एवं विधिक कार्य को स्थगित रखने की संस्तुति की गई थी। मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद का पत्र दिनॉक 25.06.2020 को सॉय 4.30 बजे प्राप्त होने के कारण अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 244/2020 दिनॉकित 25.06.2020 के द्वारा जनपद न्यायालय परिसर गाजियाबाद को दिनॉक 26.06.2020 से 09.07.2020 तक 14 दिन के लिए बन्द रखने का आदेश पारित किया गया था।

आज दिनॉक 26.06.2020 को सॉय 4.45 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद के पत्र संख्या मु0चि0अ0/कोविड–19/कोर्ट/2020/2590/631 दिनॉकित 26.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में 14 दिन तक कार्यालय बन्द किये जाने की आख्या रिहायशी परिक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दी गई थी परन्तु न्यायालय एवं न्यायिक कार्य, कार्यालय की श्रेणी में आता है, तत्कम में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 1382/2020 /सीएक्स–3 गृह(गोपन) अनुभाग–3 दिनॉकित 31.05.2020 के अनुसार यदि किसी कार्यालय परिसर में कोरोना धनात्मक रोगी पाया जाता है तो सम्बन्धित परिसर को 24 घण्टे हेतु सील करते हुए विसंकमण की कार्यवाही कराने के दिशा निर्देश दिये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद के द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र सं0 मु0चि0अ0/कोविड–19/कोर्ट/2020/2590 दिनॉकित 25.06.2020 को संशोधित करते हुए आज दिनॉक 26.06.2020 सॉयकाल से न्यायालय गाजियाबाद परिसर को अनसील करते हुये सामान्य न्यायिक गतिविधियों को संचालित करने की संस्तुति की गई है।

अतः मुख्य चिकित्साधिकारी की संशोधित आख्या दिनॉकित 26.06.2020 को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पारित 14 दिन तक अर्थात दिनॉक 26.06.2020 से 09.07.2020 तक न्यायालय को बन्द रखने के आदेश संख्या 244/2020 दिनॉकित 25.06.2020 को वापिस लिया जाता है तथा जनपद न्यायालय गाजियाबाद को दिनॉक 29.06.2020 से खोले जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जावे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

26.06.2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad